झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1055 वर्ष 2017

1. मो0 मंसूर अंसारी उर्फ मंसूर मियां

2. मो0 मुंसिफ अंसारी .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, सड़क निर्माण, झारखंड सरकार, रांची

3. उप आयुक्त, गिरिडीह

4. भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गिरिडीह

5. मेसर्स छोटेलाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अटका, बगोदर, जिला–गिरिडीह

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री अरविंद कुमार

राज्य के लिएः– श्री मनोज कुमार नंबर–3

03 / 20.03.2017 याचिकाकर्ताओं और राज्य के अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनके रायती भूखंडों पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मौजा–दामा, थाना–बगोदर स्थित खाता संख्या–8, प्लॉट संख्या 2305, कुल क्षेत्रफल 60 डेसीमल में से 11.5 डेसीमलय खाता संख्या 26, प्लॉट संख्या 2520, कुल क्षेत्रफल 1 एकड़ 22 डेसीमल में से 15 डेसीमलय खाता संख्या 28, प्लॉट संख्या 2314, कुल क्षेत्रफल 89 डेसीमल में से 14.5 डेसीमल शामिल हैं। अनुलग्नक–1 उनके इस दावे के समर्थन में संलग्न किराया रसीदें हैं कि जमाबंदी दोनों याचिकाकर्ताओं के नाम पर चल रही है। उन्होनें गिरिडीह के उपायुक्त के समक्ष भी अभ्यावेदन दिया है और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष आए हैं क्योंकि यह आशंका है कि सड़क का निर्माण प्रत्यर्थियों द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा उनकी रायती भूमि पर किया जाएगा।

प्रतिवादी–राज्य के वकील प्रस्तुत करते हैं कि मामला हाल ही में दायर किया गया है और पहली बार सुना जा रहा है। इसलिए, कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। उपायुक्त, गिरिडीह के समक्ष दिए गए उनके अभ्यावेदन (अनुलग्नक–2) के अवलोकन से पता चलता है कि कथित निर्माण पहले भी हो चुका है, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने 31 मार्च, 2015 को ही डिप्टी कमिश्नर, गिरिडीह के समक्ष शिकायत की थी। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचियों के दावे की जांच राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके कार्यालय के प्रासंगिक रिकॉर्डों से की जा सकती है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह सही है या नहीं। इसलिए, याचियों को सक्षम प्राधिकारी/प्रतिवादी सं0 3–उपायुक्त, गिरिडीह के समक्ष मामले को रखने के लिए भेजा जा सकता है।

ऊपर उल्लिखित तथ्यों के आलोक में और पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, इस न्यायालय का विचार है कि याचियों को उनके पक्ष में भूमि के टुकड़े पर वैध स्वामित्व दिखाने के अधिकारों के रिकॉर्ड के उद्धरणों सहित सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ उपरोक्त शिकायत के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/प्रत्यर्थी सं0 3 से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी/उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा उचित समय के भीतर, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर सभी प्रासंगिक राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के बाद कानून के अनुसार ऐसे अभ्यावेदन पर उचित विचार किया जाएगा। रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)